न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 18/2023 (2023/78)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

बनाम

रामस्वरूप पुत्र रामदेव कुम्हार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. टेनेन्सी एक्ट

आदेश

दिनांकः– 16-02-2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बघेरा के खसरा संख्या 2100 रकबा 04–08–00 में से रामदयाल पुत्र काना कीर का 1/2 हिस्सा विक्रय पत्र 485/93 से रामस्वरूप पुत्र रामदेव द्वारा क्रय किया जिसका नामान्तकरण संख्या 534 दिनांक 29.02.1996 से खोला जा चुका है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 2100 रकबा 04–08–00 के नवीन खसरा संख्या 4428 रकबा 0.17, 4431 रकबा 0.04 तथा 4435 रकबा 0.50 है। आधार जमाबन्दी में खसरा संख्या 4435 रकबा 0.50 का खाता कजोड पुत्र काना कीर 1/2, रामस्वरूप पुत्र रामदेव कौम कुम्हार 1/2 सा0 खातेदार कायम हुआ था शेष 4428 रकबा 0.17 व 4431 रकबा 0.04 किता 2 पूर्व खातेदार जो कि विक्रेता रामदयाल पुत्र काना हिस्सा 1/2 यथावत रख दिया जो गलत है। अतः वर्तमान 4428 रकबा 0.17 व 4431 रकबा 0.04 किता 2 रकबा 0.21 में रामदयाल पुत्र काना हिस्सा 1/2 के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 534 दिनांक 29.02.1996 के अनुसार क्रेता रामस्वरूप पुत्र रामदेव कुम्हार हिस्सा 1/2 की दुरूस्ती की अनुशंषा तहसीलदार केकड़ी द्वारा की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली व तहसीलदार केकड़ी, भू0अ0निरी0, पटवारी, पटवार मण्डल बघेरा की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। अतः तहसीलदार केकड़ी द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम बघेरा के वर्तमान खसरा नम्बर 4428 रकबा 0.17, खसरा नम्बर 4431 रकबा 0.04 किता 2 रकबा 0.21 में रामदयाल पुत्र काना हिस्सा 1/2 के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र रामदेव कुम्हार हिस्सा 1/2 की दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकड़ी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी,

Scanned with OKEN Scanner